रानीगंज में कोयला खानों में दरारें

3827.**श्री एस.एस.अहलुवालियाः** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्यधिक कोयला खनन के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थिति कोयला खानों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं जिसके परिणामस्वरुप खानों और आवासों को खतरा उत्पन्न हो गया है और जो वर्षो के मौसम में और भी गंभीर रूप ले सकता है।

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) खनन क्रियाकलापों के कारण हुआ धंसाव दो श्रेणियों के अंतर्गत,अर्थात ''योजनागत'' तथा ''गैर योजनागत'' आता है । योजनागत धंसाव केविंग पद्धति द्वारा कोयले के निकासी किए जाने के कारण होता है। भूमि जिस पर कि योजनागत धंसाव होता है, और इसे खनन क्रियाकलापों को शुरू किए जाने से पूर्व किसी तरह की सतही निर्माण रहित कर दिया जाता है । खनन क्रियादलापों द्वारा प्रभावित सतही भूमि पर बाद में डोज़िग तथा समतल करके सुधार किया जाता है।

गैर-योजनागत धंसाव की समस्या रानीगंज कोयला क्षेत्र में विद्यमान हैं, जोकि विगत में अवैज्ञानिक रूप से उत्खनन किए जाने के कारण हैं।

पुरानी भूमिगत खानों में छोड़े गए लघु स्तभों के कमजोर पड़ जाने/गिर जाने के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में गैर-योजनागत धंसाव हो गया है । इस तरह की भू-गत क्रियाकलापों को सुदृढीकृत किए जाने हेतु कोई स्थापित प्रौद्योगिकी न होने की स्थिति में रानीगंज कोयला क्षेत्र के पांच स्थलों मे सुदृढीकृत किए जाने हेतु हाइड्रोन्यूमेटिक रेत भराई की एक नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जोकि झारिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में धंसाव तथा आगों से संबंधित समस्याओं की जांच करेगी, और यह समिति विस्तृत रूप में समस्याओं से निपटने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी। इस समिति ने इस संबंध में विचार-विमर्श शुरू कर दिया है ।

Performance of Neyveli Lignite Corporation

3828. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the performance of Neyveli Lignite Corporation in the exploitation of lignite deposits and generation of power in 1996-97; and

(b) the power supplied to Andhra Pradesh from the Neyveli thermal power stations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) During 1996-97, lignite production in Neyveli Lignite Corporation Ltd. (NLC) was 173.54 lakh tonnes. During the same period, NLC generated thermal power to the extent of 12704.57 million units from its two thermal power stations. In respect of both items, NLC exceeded its targets. Power generation and lignite production in 1996-97 were the highest ever in the history of NLC.

(b) Power exported to Andhra Pradesh from Neyveli Thermal Power II was 2534.859 million units in 1996-97.

Irregularities committed by private companies in coal sector

3829. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that coalfields were nationalised on account of the callous floting of basic safety and environmental standard by private companies; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to ensure that in future private companies may not resort ot the above practice?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir. This was one of the reasons for nationalisation of coal mines.

(b) Before grant of the lease the applicant has to get a mining plan prepared by a person recognised by the Central Government and has to obtain the approval of the Central Government on the mining plan under the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 and Mineral Concessions Rules, 1960. Further the applicant has to obtain forest and environmental clearance

before the mining lease is granted by the State Government. Safety in coal mines is enforced broadly by the provisions of Mines Act, 1952 and rules, regulations and by laws made thereunder. These statutory provisions are equally applicable to the lessees in public sector and private sector. Violation of the provisions would render the lessee liable to deterrent & punitive actions under the statutes.

Incentive package for promotion of food processing Industries

3830. SHRI GOVINDRAO ADIK: will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any package of incentive for promotion and development of food processing industries;

(6) if so, the details thereof, schemewise and funds provided under each scheme, state-wise during the last three years in general and for the state of Maharashtra in particular;

(c) the details of progress achieved in food processing industry during the last three years in the country, Maharashtra particularly;

(d) whether Government are working on a special package like export zones for vegetables/processed foods in Maharashtra, if so, the details thereof; and

(e) details of programme proposed and finalised for 1997-98 for Maharahstra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) and (b) Ministry-of Food Processing Industries had operated many developmental Plan Schemes during Eighth Plan for promotion of food processing industries throughout the country. These schemes are project specific and not State specific. Financial assistance under these schemes is extended to State Government Organisations, Cooperatives bodies. Voluntary Organisations, Joint/Assisted Sector etc. for promotion of food processing industries. Similar Schemes are proposed to be continued during the Ninth Plan also.

Financial assistance to the tune of about Rs. 850 lakhs has been provided during the Eighth Plan under the Plan Schemes in respect of proposals received from Maharashtra.

(c) Food Processing Industries have been growing steadily over the years. Information regarding the progress achieved Statewise is not Centrally maintained.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लोकप्रिय बनाने हेतु समिति का गठन

3831.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कारगर, लोकप्रिय और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कोई नए मानदंड तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ड) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) अन्य पहलुओं के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से कम पूंजी निवेश से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की अधिक संभावनाओं को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही आई जैसे विदेशी निवेश समेत पूंजी निवेश संबंधी नीतियों को उदारीकृत करना, उन पर लगे तथा क्षमता के विस्तार,प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण पर लगे प्रतिबंध हटना आदि ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3821. **श्री नागमणि :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने को बढावा देने के लिए कोई नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?